

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड**

जमानत आवेदन क्रमांक 21/18

विष्णु सिंह पुत्र हरजीवन सिंह तोमर आयु 18 वर्ष  
निवासी ग्राम कौंथर, थाना व तहसील पोरसा,  
जिला मुरैना, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

10-01-2018

आवेदक/आरोपी विष्णु की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना मालनपुर से इस्तगासा क्रमांक 01/17 अंतर्गत धारा 41 (1.4), 102 सीआरपीसी एवं धारा 379 भा०दं०सं० की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज भाई की शादी का कार्ड प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त विष्णु की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री जी०एस० गुर्जर द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक को पुलिस थाना मालनपुर द्वारा गलत आधार पर उक्त अपराध में आरोपी बनाया है, जबकि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक को विरोधियों द्वारा रंजिशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक द्वारा नियमित जमानत हेतु आवेदन न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद के न्यायालय में पेश किया गया था जो दिनांक 05.01.18 को निरस्त हो चुका है। आवेदक विद्यार्थी है और कई दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के परिवार में उसके बड़े भाई की शादी है। आवेदक नवयुवक है। उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा अभियोजन साक्षियों

को प्रभावित नहीं करेगा। सहआरोपी मोनू की जमानत इस न्यायालय द्वारा हो चुकी है। अतः समानता के आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना एवं अभियुक्त/आवेदक को आदतन शातिर किस्म का चोर होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार आवेदक/अभियुक्त विष्णु सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 41 (14), 102 सीआरपीसी एवं धारा 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरक्षी केंद्र मालनपुर में क्रमांक 01/17 पर इस्तगासा पंजीबद्ध किया जाकर अभियुक्त विष्णु सहित सहअभियुक्त राजकुमार के द्वारा विभिन्न थानों के क्षेत्रांतर्गत अनेक मोटरसाईकिलों की चोरी करना बताया गया है। स्वयं आवेदक/अभियुक्त विष्णु एवं सहअभियुक्त राजकुमार द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत किये गये प्रकटीकरण के आधार पर मामले में कई मोटरसाईकिलें जप्त हुई हैं। अनुसंधान अपूर्ण होकर प्रकृति पर है तथा आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 392 भा0दं0सं0 एवं 11 व 13 म0प्र0 डकैती अधिनियम के अंतर्गत थाना पोरसा में दो अपराध एवं एक अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का दर्ज होना बताते हुये केस डायरी के साथ आपराधिक रिकॉर्ड को संलग्न किया गया है, जिससे आवेदक/अभियुक्त विष्णु शातिर किस्म का चोर होना दर्शित होता है, यद्यपि मामले में सहअभियुक्त मोनू की जमानत हो चुकी है, लेकिन उसके द्वारा मात्र एक एक्टवा वाहन को क़य किये जाने का अभियोग है। अतः आवेदक/अभियुक्त विष्णु का कृत्य भिन्न व गंभीर होने से वह समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो जाता है।

अतः विचारोपरांत अपराध की गंभीरता एवं विवेचना के अनुक्रम में संकलित साक्ष्य एवं संलग्न आपराधिक रिकॉर्ड सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)